अग्रिम जमानत आवेदन संख्या – 92/2026

न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम नवगछिया, भागलपुर।
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या – 92/2026
गोपालपुर थाना कांड संख्या – 19/2025
अन्तर्गत धारा :– 318(4),316(2)/3(5) B.N.S.

1. अनिता देवी एवं अन्य ..... आवेदकगण

बनाम्

बिहार सरकार ..... अभियोजन पक्ष

आवेदकगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता – श्रीमती कुंजलता कुमारी

अभियोजन की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक– श्री परमानंद साह

03.06.2026 आवेदिका अभियुक्तगण 1. अनिता देवी एवं 2. लीलु उर्फ नीलु देवी की ओर से गोपालपुर थाना कांड संख्या – 19/2025 में गिरफ्तारी की आशंका से विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया गया है, जिसकी प्रति विद्वान अपर लोक अभियोजक को प्रदान की गई है। उभय पक्षों को सुना।

आवेदिका अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत आवेदन को प्रचालित करते हुए कथन किया गया है कि आवेदिका अभियुक्तगण की ओर से इस जमानत आवेदन के अतिरिक्त कोई अन्य किसी प्रकार का जमानत आवेदन किसी अन्य न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है। आवेदक अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास दर्ज नहीं है। आवेदिका अभियुक्तगण निर्दोष हैं और उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है, उन्होंने इस वाद में दूषित ग्रामीण राजनीति के तहत झुठा फंसाया गया है। जरबियाना के शर्तों के अनुसार सूचक नतीनी के विवाह के समय आवेदिका अभियुक्तगण को देय राशि जमा करने में विफल रहे। सूचक द्वारा समय पर आवेदिका अभियुक्तगण को भुगतान न किये जाने के कारण आवेदिका अभियुक्तगण को भारी नुकसान हुआ। सूचक पंजीकृत विलेख के माध्यम से बकाया राशि का भुगतान किये बिना विवादित भूमि को प्राप्त करने का उत्सुक है। आवेदिका अभियुक्तगण के खिलाफ अनुचित लाभ उठाने और उनकी मृत्यु के लिए मामला दर्ज कराया गया है। आवेदिका अभियुक्तगण धारा 482 (2) बी0एन0एस0 के अन्तर्गत शर्तों का पालन करने तथा न्यायालय की संतुष्टि के लिए समुचित राशि का बंध पत्र दाखिल करने के लिए तैयार हैं। अतः आवेदिका अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत प्रदान करने की प्रार्थना करते हैं।

सूचक, सिकंदर मंडल के टंकित आवेदन के अनुसार अभियोजन का वाद संक्षेप मे इस प्रकार है कि सूचक ने अनिता देवी से एक कट्ठा जमीन खरीदने के लिए चार लाख रूपया कीमत तय किये। सूचक द्वारा पता लगाया कि मौजा सैदपुर, थाना नंबर 11, अंचल गोपालपुर, सब रजिस्ट्री आफिस बिहपुर के खाता सं0 3464, खेसरा सं0 5568 रकवा 0/09 डी0 दो कट्ठा जमीन की जमाबंदी मो0 अनिता देवी के स्वर्गीय पति हरखित शर्मा उर्फ हरवीति शर्मा उर्फ हरबिटी शर्मा के नाम से कायम है। मो0 अनिता देवी द्वारा उपरोक्त जमीन को हर तरफ से पाक साफ है और शांतिपूर्ण दखल कब्जा में रहने की बात बताये जाने पर एक हजार रूपया मूल्य के कोर्ट स्टांप पर एक साल की अवधि के जरबयानानामा /वैयबयाना पर दिनांक 02.12.2020 को

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या – 92/2026

लगातार

03.06.2026 पचास हजार रूपया, दिनांक 19.12.2020 को पचास हजार रूपये, दिनांक 12.02.2021 को पचास हजार रूपये, दिनांक 30.08.2021 को पचास हजार रूपये दिये जाने पर मो0 अनिता देवी तथा उसकी पुत्री लीलू देवी ने अनिता देवी के नाम से जरबयानानामा /वैयबयाना वाले कोर्ट स्टांप पर प्राप्ति प्रमाण बनाया। एक साल बितने के पूर्व बचा दो लाख रूपये लेने तथा केवाला रजिस्ट्री करने से अनिता देवी और उसकी बेटी लीलू देवी द्वारा तरह तरह का बहाना बनाकर टालमटोल किया जाने लगा। मॉ बेटी द्वारा बताया गया कि जमीन पर टाईटल सूट, 144 का केस हो गया है लेकिन केस नंबर अथवा केसस का कागजात मांगने पर भी नहीं दिया गया। जब मैंने केस लड़ने की जिम्मेदारी अपने उपर लेते हुए बकाया रकम लेकर केवाला रजिस्ट्री करने का दबाव बनाया तो मॉ बेटी ने और तीन साल का समय मांगते हुए नया जरबयानानामा /वैयबयाना बनाने की बात कही। दिनांक 15.04.2023 को एक हजार रूपये मूल्य के कोर्ट स्टांप पर सूचक ने पुरानी बातों को सम्मिलित कर जरबयानानामा /वैयबयाना तैयार करवाया। लेकिन इस कागज पर मो0 अनिता देवी ने हस्ताक्षर करने से स्पष्ट रूप से इंकार कर दिया। इसके पश्चात सूचक ने अनिता देवी और उसकी बेटी लीलू देवी मो0 नंबर 9123486834 के बारे में पता लगाया तो पता चला कि ये दोनों अव्वल दर्जे की धुर्त, मक्कार, धोखेबाज जालसाज, लालची और जालफरेब में महारथ हाशिल महिला है। मॉ बेटी साजिश रचकर भोले भाले लोगों को जमीन बिक्री अथवा अन्य मायाजाल के षडयंत्र में फंसाकर पैसा हड़प हुए बर्बाद कर देती है। तरह तरह का नाटक एवं नौटंकी करते हुए जरबयानानामा /वैयबयाना की निर्धारित समय सीमा को पार करा देती है और समय सीमा बीतने का वास्ता देकर केवाला रजिस्ट्री करने से इंकार कर देती है। इस बातों से घबराकर सूचक ने दिनांक 25.07.2023 को निबंधित डाक से एक नोटिस भेजा तथा एक सप्ताह के अंदर बकाया दो लाख रूपये लेकर सूचक के नाम से जमीन का रजिस्ट्री करने को कहा। यह नोटिस भी नेट रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 01.08.2023 को ही मो0 अनिता देवी को प्राप्त हो चुका है। लेकिन न तो नोटिस का कोई जवाब दिया गया और न हीं जमीन रजिस्ट्री किया गया है। मो0 अनिता देवी से इस जमीन से संबंधित रूपयो लेनदेन, जमीन पर केस होने तथा तीन साल बाद रजिस्ट्री करने संबंधी समस्त बातचीत के साक्ष्य /इलेक्ट्रानिक साक्ष्य इनके पास मौजूद है। वांछित होने पर प्रस्तुत करने के लिए तैयार हैं। इस जमीन को खरीदने के लिए सूचक ब्याज पर कर्ज लेकर पैसे का भुगतान किये थे।

विद्वान अपर लोक अभियोजक के द्वारा कथन किया गया है कि आवेदिका अभियुक्तगण प्राथमिकी के नामजद हैं तथा प्राथमिकी में इनके विरुद्ध सूचक को जमीन रजिस्ट्री करने के नाम पर धोखेबाजी एवं जालसाजी कर अलग अलग तिथियों में चार बार में दो लाख रूपया नगद लेने एवं निर्धारित समय सीमा के अंदर न तो जमीन रजिस्ट्री करने और न हीं पैसा वापस करने के बाबत कांड दर्ज कराया गया है। आवेदिका अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित धारा गंभीर है। अतः जमानत आवेदन को खारिज किया जाय।

प्रचालित अग्रिम जमानत आवेदन पर उभय पक्षों को सुना तथा अभिलेख के साथ कांड दैनिकी का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 318(4),316(2)/3(5) B.N.S. के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कराया गया है। आवेदिका अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 318(4),316(2)/3(5) B.N.S. में आरोप पत्र समर्पित कर

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या – 92/2026

लगातार

03.06.2026 दिया गया है। उभयपक्षों में जमीन रजिस्ट्री को लेकर विवाद है। उभयपक्षों की ओर से एक सुलहनामा आवेदन दाखिल करते हुए कथन किया गया है कि कुल दो लाख रूपया अभियुक्त तीन किस्तों में रूपया देने को तैयार हैं, जिसमें से प्रथम किस्त के तौर पर पचास हजार रूपया सूचक के विद्वान अधिवक्ता के समक्ष सूचक को प्राप्त कराया गया तथा शेष बकाया राशि को दो किस्तों में प्रतिमाह देने को आवेदिका अभियुक्तगण तैयार हैं, जिसे सूचक स्वीकार करता है।

उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में आवेदिका अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत प्रदान करना न्यायोचित प्रतीत होता है। तद्नुसार आवेदिका अभियुक्तगण 1. अनिता देवी एवं 2. लीलु उर्फ नीलु देवी की ओर से मो0 10,000/– रूपये के समतुल्य राशि के दो–दो जमानतदारों के प्रतिभुओं का बंध पत्र विचारण न्यायालय में गिरफतार होकर आने या चार सप्ताह के अंदर आत्मसमर्पण कर दाखिल किये जाने पर एवं न्यायालय के संतुष्टि पर धारा 438 (2) द0 प्र0 स0 के शर्तों के अनुपालन के साथ अग्रिम जमानत प्रदान की जाती है। शर्त है कि आवेदिका अभियुक्तगण लगातार दो महीने के प्रथम सप्ताह के अंदर सूचक को मो0 पचहत्तर हजार रूपया प्रतिमाह भुगतान कर देंगे नहीं करने पर विचारण न्यायालय द्वारा उचित आदेश पारित किया जा सकता है। तदनुसार अग्रिम जमानत आवेदन को **स्वीकृत** किया जाता है।

ह0/–
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम,
नवगछिया, भागलपुर।